न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 45/2024 निर्णय दिनांक 16-07-2025
(जीसीएमएस संख्या 2024/401)

1. हीराराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी शेरेरा तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. मोहनराम पुत्र कानाराम जाति खाती निवासी शेरेरा तहसील व जिला बीकानेर।
2. अन्नाराम पुत्र कानाराम जाति खाती निवासी शेरेरा तहसील व जिला बीकानेर।
3. राधा पुत्री कानाराम जाति खाती निवासी शेरेरा तहसील व जिला बीकानेर।
4. गीता देवी पत्नी कानाराम जाति खाती निवासी शेरेरा तहसील व जिला बीकानेर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय सहायक कलक्टर (शहर), बीकानेर
दिनांक 09—07—2024

उपस्थितः

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री बहादुर राम सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 4
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलक्टर (शहर), बीकानेर के निर्णय दिनांक 09—07—2024 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट्स का धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार किया गया है,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। अपीलांट के धारण में ग्राम आसेरा तहसील बीकानेर के खसरा नम्बर 93 तादादी 5.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 582/91 तादादी 1.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 583/92 तादादी 2.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 631/178 तादादी 4.1050 हैक्टेयर कुल तादादी 13.7650 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खसरा नम्बर 583/92 तादादी 2.3200 हैक्टेयर भूमि पर गैर कानूनी तरीके से स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। अपीलांट के चिपते खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 है जिनके गत खसरा नम्बर 198/46 तादादी 25 बीघा 15 बिस्वा खाम भूमि थी जिसमें से 2 बीघा 08 बिस्वा खाम भूमि सडक में अवाप्त हो जाने से रेस्पोडेन्ट्स के धारण में 23 बीघा 07 बिस्वा खाम भूमि रही। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से कुल 25 बीघा 15 बिस्वा खाम भूमि पर स्थगन आदेश जारी कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तमाम तथ्य प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम से आ चुके थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इनको दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। वादगत भूमि का खातेदार काश्तकार अपीलांट है एवं किसी भी खातेदार काश्तकार के विरूद्ध टीआई जारी नहीं की जा सकती है। उक्त आशय को विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में भी अभिलिखित किया गया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स को बेजा फायदा पहुंचाने की गरज से अपीलाधीन आदेश से खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पार्ट।। पेज 1144, 1323, आरआरटी 2016–17 सप पेज 637, आरआरटी 2018 पार्ट।। पेज 1275, आरआरटी 2019 पार्ट।। पेज 1430, आरआरटी 2022 पार्ट। पेज 114, आरआरडी 1984 पेज 176, 492, आरआरडी 1990 पेज 324, आरआरटी 2023 पार्ट।। पेज 938 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि बाबत दावा बाबत घोषणात्मक, चिर निषेधाज्ञा, दुरूस्ती का विचाराधीन है ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो भूमि का स्वरूप परिवर्तन हो सकता है। जिससे रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत दावे का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त में है तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वजों की भूमि के दो टुकडे कर दिये जबकि रेस्पोडेन्ट्स की भूमि एकल ही थी। उक्त आशय को दुरूस्त करवाने हेतु ही रेस्पोडेन्ट्स ने वाद प्रस्तुत किया है। सेटलमेंट विभाग ने रेस्पोडेन्ट्स का 1.03 हैक्टेयर भूमि को अपीलांट के खेत के नक्शे में अपने अधिकारिता से परे जाकर फिटिंग कर दिया है। जिससे अपीलांट गलत फिटिंग का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट्स की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश से अपीलांट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो कि विधिसम्मत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र का निस्तारण विधिक प्रावधानों के अनुरूप किया है अथवा नहीं? अधीनस्थ न्यायालय की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्रावली से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा सुस्थापित अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर बिना कोई विवेचन किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। साथ ही प्रकरण में यह उभय पक्ष द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत अराजी 25 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि सडक में अवाप्त हो चुकी थी फिर भी अपीलाधीन आदेश द्वारा सडक के लिए अवाप्तशुदा भूमि पर भी स्थगन आदेश जारी कर दिया गया जो कि विधिक रूप से उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–07–2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (शहर), बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दुत्रय की सकारण व तार्किक विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16-07-2025 को लिखाया सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर